न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 94/2017 प्रार्थना पत्र

रतनलाल पिता बंशीदास जी जाति बैरागी आयु व्यस्क निवासी फाचर सोलंकी त0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

——प्रार्थी

बनाम

1. देवकन्या पिता बंशीदास जी जाति बैरागी आयु व्यस्क, निवासी फाचर सोलकी त0 निम्बाहेड़ा ।
2. कृष्णा कुमारी पिता बंशीदास जी जाति बैरागी आयु व्यस्क, निवासी फाचर सोलकी त0 निम्बाहेड़ा ।
3. भगवतीबाई वेबा बंशीदास जी जाति बैरागी आयु व्यस्क निवासी फाचर सोलंकी, त0 निम्बाहेड़ा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और सेः— अधिवक्ता जगदीश मेनारिया उपस्थित

आदेश

दिनांकः—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की स्वामित्व आराजीयात मौजा उंखलिया प0ह0 उंखलिया तह0 निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 105 के आराजी नं0 435 रकबा 1.2700 हैक्टेयर आराजी न0 436 रकबा 0.2700 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.5400 हे0 हैं जिसके पुराने आराजी न0 428/330 रकबा 5 बीघा आराजी न0 337 रकबार 19 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे की हैं । साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश हैं । प्रार्थी के आराजीयात प्रार्थी व विपक्षीगण न0 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात हैं । उक्त आराजीयात का सेटलमेंट अध्किारियों द्वारा अपने मन मर्जी से व अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी हक अधिकार के नवीन नक्शा ट्रेस में गलत तरीके से राजस्व नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई । वर्तमान में नये सेटलमेंट होने के बाद प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आरजीयात जो पुरान नक्शा ट्रेस में सही रूप से तरमीत थी परन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में राजस्व रिकार्ड मं दर्ज रकबे अनुसार तरमीम नही करके नवीन नक्शा ट्रेस आराजी के रकबबे को कम करते हुए राजस्व नक्शा छोटा गलत रूप से तरमीम कर दिया हैं जो रकबे अनुसार व पूर्व साबिक नक्शे अनुसार नही कर नवीननक्शा ट्रेस में अकन सही रूप से नही किया गया हैं । जबकि प्रार्थी व विपक्षी न0 1 ता 3 का मौके पर

अपने राजस्व रेकार्ड मं दर्ज हक हिस्से व रकबे अनुसार मौके पर शान्तिपूर्ण रूप से कब्जा चला रहा हैं । उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से सेटलमेंट में नक्शा ट्रेस में गलत अंकन कर तरमीम कर दिया हैं तथा उक्त नक्शा ट्रेस में अंकन पूर्व साबिक आराजी के राजस्व नक्शे एंव राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे अनुसार नही किया हैं । इसलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार एंव पूर्व साबिक आराजी के राजस्व नक्शे एंव राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे अनुसार अंकन कर नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं जिसमें आराजी न0 435 व 436 वाके मौजा फाचर सौलंकी वादी खातेदार का मौका रिकार्ड निरीक्षण किया मौर पर आ0न0 435 हाल गत आराजी न0 428/330 रकबा 5 बीघा पर वादी मौका पर कब्जा काश्त करता हैं । गत सेटलमेंट के अनुसार तरमीम हैं वादी द्वारा पेश नक्शा में आ0न0 428/330 के बजाय 428/230 ही अंकन हैं जो गलत हैं । मगरी वादी मौका पर हाल आ0न0 435 के तरमीम नक्शानुसार की कब्जा काश्त हैं । वादी के दूसरी आ0न0 हाल 436 रकबा 0.27 के गत भू प्रबंध आ0न0 337 रकबा 15/4 बिस्वा होना बाद में अंकन किया हैं जो गलत होकर गत आ0न0 230/547 रकबा 1/1 हैं । 230/547 रकबा 1/1 के नये आराजी नम्बर 436 रकबा 0.27 हे0 होकर इस पर भी वादी कब्जा काश्त हैं । अतः वाद निराधार व अस्पष्ट होकर रेकार्ड व मौका से प्रमाणित नही होता हैं । वादी की खातेदारी भूमि हाल आ0न0 435 व 436 रकबा 1.54 हे0 पर वादी कब्जा काश्त होकर वाद निरर्थक व खारीज योग्य हैं । मौका रिकार्ड की रिपोर्ट सेवा मे पेश है।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं किया है। तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार वाद निराधार व अस्पष्ट होकर रेकार्ड व मौका से प्रमाणित नही होता हैं । गत रेकार्ड व हाल रेकार्ड मे कोई अन्तर नही होने से प्रकरण संशोधन का नही बनता हैं । वादी की खातेदारी भूमि हाल आ0न0 435 व 436 रकबा 1.54 हे0 पर वादी कब्जा काश्त होकर वाद निरर्थक व खारीज योग्य होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता हैं ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा